



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 522] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 15, 1986/अग्रहायण 24, 1908
No. 522] NEW DELHI, MONDAY, DEC. 15, 1986/AGRAHAYANA 24, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Pageing is given to this Part in order that it may be filed as
separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

पध्दियुक्त

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1986

क्र. पा. 915 (घ) :—केन्द्रीय सरकार, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात
उपकर अधिनियम, 1985 (1986 का 3) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, मूल्य के 0.50% को ऐसे सीमाशुल्क की दर के रूप में विनिर्दिष्ट करती
है जो सभी अनुसूचित उत्पादों के निर्यात पर उपकर के रूप में तात्कालिक प्रभाव से उद्गृहीत
और संगृहीत किया जाएगा।

[क्र. सं. 11/16/86—ई. पो. (एपी. 4)]
डी. पी. बागची, संयुक्त सचिव